



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)


क्रमांक एफ. 4( )/परावि/सीसी/विविध/2013-पार्ट-1/49 जयपुर दिनांक: 14/05/2019

:: आदेश ::

पंचायती राज संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना एवं संचार तकनीक की विभिन्न एप्लीकेशन्स को सुचारु रूप से लागू किये जाने, सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग बाबत प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय कोर कमेटी का गठन किया जाता है। कोर कमेटी के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद होंगे एवं विभिन्न एप्लीकेशन्स के लिए कोर कमेटी में निम्न अधिकारियों को नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाता है:-


क्र.सं.	वेब एप्लीकेशन एवं अन्य	नोडल अधिकारी	सहायक नोडल अधिकारी
1.	प्लान-प्लस	मुख्य आयोजना अधिकारी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
2.	एक्शन सॉफ्ट एवं एम-एक्शन सॉफ्ट	अधिशाषी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
3.	प्रिया सॉफ्ट	वरिष्ठ लेखाधिकारी	लेखाधिकारी
4.	पीएफएमएस	वरिष्ठ लेखाधिकारी	लेखाधिकारी
5.	पंचायत अवार्ड	मुख्य आयोजना अधिकारी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
6.	एकीकृत राज ई-पंचायत वेब एप्लीकेशन	अधिशाषी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
7.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अधिशाषी अभियन्ता

उक्त कोर कमेटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के निर्देशन में कार्य सम्पादित करेगी।

  
(आशुतोष ए.टी. पेड़णेकर)  
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जिला-समस्त।
4. निजी सहायक, उप महानिदेशक एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, तृतीय तल, उत्तर पश्चिम भवन, सचिवालय, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
8. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति-समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

  
(गौरव चतुर्वेदी)  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)